भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3063

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

बेंगलुरु में खाद्य खरीद, भंडारण और पीडीएस का आधुनिकीकरण

3063. श्री पी. सी. मोहन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सहित देश भर में डिजिटलीकरण, आधुनिक साइलो और वैज्ञानिक भंडारण के माध्यम से खाद्य खरीद, भंडारण और रसद प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) खरीद प्रणालियों को मजबूत करने और विशेषकर कर्नाटक में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक और विशेषकर बेंगलुरु में कार्यरत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की उचित दर दुकानों की कुल संख्या कितनी है और वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित किए जा रहे खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव कर्नाटक, विशेषकर बेंगलुरु में भंडारण क्षमता बढ़ाने या पीडीएस के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न या किराना वस्तुओं को शामिल करने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): सरकार ने खरीद प्रणाली को आधुनिक बनाने और सुदृढ़ करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी, एफसीआई, अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर एमएसपी प्रचालनों के तहत गेहूं और धान की खरीद करती है। केंद्रीय पूल में मोटे अनाज/मिलेट्स (श्रीअन्न) की खरीद केवल राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत की जाती है।

...2/-

(ii) एफसीआई और विभिन्न राज्य एजेंसियां, राज्य सरकार के परामर्श से, विभिन्न मंडियों और प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में खरीद केंद्र स्थापित करती हैं। केंद्रों की संख्या और उनके स्थान राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न मापदंडों के आधार पर तय किए जाते हैं, ताकि एमएसपी प्रचालनों को अधिकतम किया जा सके। कर्नाटक राज्य में उपयोग किए जा रहे पोर्टलों की सूची अनुबंध में दी गई है।

(iii) भारत सरकार के विनिर्देशों के अनुरूप भंडार, जो किसानों द्वारा खरीद केंद्रों पर प्रस्तुत किया जाता है, सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीदा जाता है। सरकारी एजेंसियों की उपस्थिति किसानों द्वारा खाद्यान्न की मजबूरी में बिक्री को रोकना सुनिश्चित करती है।

(iv) एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के तहत खाद्यान्नों की खरीद संबंधित राज्यों के ऑनलाइन खरीद पोर्टलों के माध्यम से की जाती है, जिससे प्रक्रिया में काफी पारदर्शिता आई है। इसके तहत किसानों का पोर्टल पर पंजीकरण, भूमि/फसल का ऑनलाइन सत्यापन और एमएसपी का ऑनलाइन भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में, अधिमानतः 48 घंटों के भीतर किया जाता है।

(v) "डीबीटी के माध्यम से एक राष्ट्र, एक एमएसपी" योजना पूरे देश में लागू की गई है, जिससे उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित हुई है।

(vi) खाद्यान्नों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) योजनाओं की व्यापक परिधि को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों/पंचायतों/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी शामिल करने का प्रावधान किया है, ताकि अधिक से अधिक किसान मूल्य समर्थन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

सरकार ने खाद्यान्न भंडारण और रसद प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

(i) **स्मार्ट वेयरहाउस परियोजना**: सरकार ने प्रायोगिक आधार पर अपने स्वामित्व वाले 150 डिपो को स्मार्ट वेयरहाउस में परिवर्तित करने की योजना बनाई है जो विभिन्न सेंसरों जैसे धुआं सेंसर, अग्नि सेंसर और गेट खोलने वाले सेंसर आदि से सुसज्जित होंगे, जो कार्बनडाइआक्साइड, फॉस्फीन स्तर, अग्नि जोखिम, आर्द्रता, अनधिकृत प्रवेश और तापमान जैसे प्रमुख मापदंडों की वास्तविक समय की निगरानी करेंगे।

इस पहल का उद्देश्य सभी डिपो में वास्तविक समय की दृश्यता, समय पर हस्तक्षेप, डाटा-आधारित निर्णय लेने और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है, जिससे सुरक्षित, सुगम और कुशल खाद्यान्न भंडारण और वितरण सुनिश्चित हो सके।

...3/-

(ii) **डिपो दर्पण पोर्टल**: डिपो दर्पण पोर्टल सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न भंडारण डिपो और गोदामों की निगरानी, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है।

डिपो दर्पण की प्रमुख विशेषताएं:-

क. डिपो/गोदाम प्रबंधक डिपो के अवसंरचना, संचालन और वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित जिओ-टैग किए गए डाटा को अपलोड करते हैं।

ख. पोर्टल एक समग्र स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग करता है, जो डिपो का मूल्यांकन दो व्यापक श्रेणियों पर करता है: अवसंरचना (सुरक्षा, भंडारण की स्थिति, प्रौद्योगिकी का उपयोग, अनुपालन) और परिचालन संबंधी मापदंड (स्टॉक टर्नओवर, नुकसान, स्थान उपयोग, मानव संसाधन लागत आदि)।

ग. स्कोर के आधार पर, प्रत्येक डिपो को एक स्टार रेटिंग दी जाती है, जिसका उद्देश्य डिपो के प्रदर्शन का त्वरित मूल्यांकन प्रदान करना है।

घ. डाटा का सत्यापन प्रक्रिया में अंतर्निहित है, जिसमें 100% पर्यवेक्षी अधिकारी सत्यापन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कुछ यादृच्छिक तृतीय-पक्ष ऑडिट शामिल हैं।

ङ. एफसीआई के स्वामित्व वाले और किराए पर लिए गए सभी गोदाम डिपो दर्पण पोर्टल के अंतर्गत आते हैं।

(iii) **साइलो-खाद्यान्नों का वैज्ञानिक भंडारण**: साइलो भंडारण थोक खाद्यान्नों के भंडारण की एक अत्यंत मशीनीकृत और आधुनिक विधि है, जो बेहतर संरक्षण और बढ़ी हुई शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करती है। इसमें कम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है इससे परिवहन और ओवरहेड लागत कम होती है, श्रमशक्ति की आवश्यकता घटती है और वैज्ञानिक प्रबंधन और भंडारण प्रक्रियाओं के माध्यम से गुणवत्ता में निरंतरता सुनिश्चित होती है। इस पहल के तहत, 33.75 लाख टन क्षमता वाले स्टील साइलो पहले से ही प्रचालन में हैं।

(iv) **अन्न चक्र - अंतरराज्यीय मार्ग अनुकूलन उपकरण**:-

खाद्यान्नों के अंतरराज्यीय परिवहन प्रचालनों को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए, मुख्य रूप से रेल द्वारा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा अंतरराज्यीय परिवहन अनुकूलन किया गया है।

(v) **सीसीटीवी और उन्नत तकनीकें**:- ये तकनीकें वास्तविक समय की दृश्यता, समय पर हस्तक्षेप, डाटा-आधारित निर्णय लेने और सभी डिपो में मानकीकृत प्रचालनों को सुनिश्चित करके डिपो प्रचालनों को परिवर्तित करती हैं।

...4/-

(ग): वर्तमान में कर्नाटक राज्य में 20,509 उचित दर दुकानें हैं, जिनमें से 1,773 बेंगलुरु में प्रचालित हैं।

चावल, रागी और ज्वार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत किया जाता है।

(घ) और (ङ): भंडारण क्षमता की आवश्यकता, अर्थात् नए गोदामों/साइलो का निर्माण, खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और पीडीएस प्रचालनों पर निर्भर करता है। सरकार भंडारण अंतर का निरंतर आकलन और निगरानी करती है। आकलन के आधार पर, एफसीआई/केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से कर्नाटक सहित पूरे देश में निम्नलिखित योजनाओं के तहत भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:

i. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना

ii. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत साइलो का निर्माण

iii. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना

iv. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना।

v. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत एफसीआई की स्वामित्व वाली भूमि पर गोदामों का निर्माण

एनएफएसए के तहत और अधिक वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3063 के उत्तर के भाग में उल्लिखित अनुबंध

रागी, धान और ज्वार की खरीद के लिए उपयोग किए जाने वाले राज्य और केंद्रीय डिजिटल पोर्टलों की सूची

क्र.सं.	पोर्टल का नाम	उद्देश्य
	राज्य पोर्टल	
1	एफआईएसटी - वित्तीय लेखांकन और स्टॉक प्रबंधन प्रणाली - राज्य खरीद पोर्टल	एमएसपी खरीद की सभी गतिविधियाँ - किसान पंजीकरण, ग्रेडिंग, खरीद, स्टॉक का आवागमन, इन्वेंट्री और किसानों को भुगतान
2	एफआरयूआईटीएस - किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली	एमएसपी किसान पंजीकरण हेतु किसान की भूमि और फसल विवरण निकालना
3	कर्नाटक राज्य डीबीटी पोर्टल	एमएसपी के तहत खरीद के लिए किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान अंतरित करना।
	केंद्रीय पोर्टल	
1	सीएफपीपी - केंद्रीय खाद्य खरीद पोर्टल	पंजीकरण, खरीद और भुगतान से संबंधित डाटा सीएफपीपी को भेजा जाता है।
2	सीएफएसपी - केंद्रीय खाद्य भंडारण पोर्टल	भंडारण स्थान विवरण से संबंधित डाटा सीएफएसपी को भेजा जाता है।
3	पीसीएसएपी - खरीद केंद्र स्व-मूल्यांकन पोर्टल	एमएसपी योजनाओं के तहत संचालित खरीद केंद्रों का मूल्यांकन पीसीएसएपी पोर्टल पर किया जाता है।
4	पीएफएमएस - सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	राज्य डीबीटी पोर्टल से भुगतान होने के बाद किसान भुगतान डाटा (एमआईएस) को पीएफएमएस के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाता है।

*****